बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप)

संचिका संख्या – 01/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(फर्जी अभिलेख)–30/2021(खंड–2) 5201 पटना, दिनांक :– 22.06.23

आदेश

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत नवसृजित संविदा पद पर विज्ञापन संख्या – 01/2019 के आलोक में निम्नांकित विशेष सर्वेक्षण अमीनों का नियोजन कॉलम – 2 में अंकित पत्रांक एवं दिनांक के माध्यम से करते हुए विभिन्न बंदोबस्त कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है :–

क्र0	पत्रांक दिनांक	आई0डी0 संख्या	नाम	पिता का नाम	पदस्थापन जिला	स्थायी पता/गृह जिला	ई–मेल	विश्वविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय का पत्रांक एवं दिनांक	विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11362 02.12.2020	AEN04560	श्री राहुल कुमार	श्री संजय कुमार	प0चम्पारण (बेतिया)	AT+PO:-Rohiyar,Thana:-Mansi,Dist:- khagaria	Rahulamit1998@gmail.com	BHARATHIDASAN UNIVERSITY, TIRUCHIRAPPALLI	UG/DIPLOMA/ VERIFICATION/01 DATED 29-03-2023	THE ENGINEERING DIPLOMA COURSE HAS NOT BEEN CONDUCTED BY THE BHARATHIDASAN UNIVERSITY, TIRUCHIRAPPALLI, TAMILNADU

उपरोक्त संविदा कर्मी के नियोजन के उपरांत इनके द्वारा समर्पित डिप्लोमा इन सिविल इंनीनियरिंग का प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय को भेजा गया था। स्तम्भ संख्या – 10 में अंकित पत्रांक/दिनांक के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। स्तम्भ संख्या – 11 में विश्वविद्यालय से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में नैसर्गिक न्याय के तहत उक्त संविदा कर्मी से फर्जी "डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग" प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नियोजन प्राप्त करने के विरूद्ध स्पष्टीकरण की मांग की गयी। संबंधित कर्मी द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का उत्तर समर्पित किया गया है। समर्पित स्पष्टीकरण में उक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करने एवं पुनः सत्यापन कराये जाने के सिवा कोई विशिष्ट तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन को खंडित करता हो। अतः विश्वविद्यालय से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उपरोक्त संविदा कर्मी गलत/फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने में सफल हो गये हैं।

अतः विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन में "Term of Assignment" की कंडिका – 4(vi) में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त संविदा कर्मी का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

22/6/23

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 01/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(फर्जी अभिलेख)–30/2021(खंड–2) 5201 पटना, दिनांक – 22.06.23

प्रतिलिपि :– श्री राहुल कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन, बंदोबस्त कार्यालय, प0चम्पारण(बेतिया) को सूचनार्थ प्रेषित।

22/6/23

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

२०५०३०

ज्ञापांक – 01/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(फर्जी अभिलेख)–30/2021(खंड–2)....5201 **पटना, दिनांक** – 22.06.23

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, पं0चम्पारण(बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि :–

1. उपरोक्त संविदा कर्मी को प्रभारित सभी कागजात/दस्तावेज/सामग्री अविलंब प्राप्त कर ली जाय।
2. फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित उपरोक्त संविदा कर्मी से अब तक भुगतान की गयी राशि की वसूली की कार्रवाई नियमानुसार की जाय।
3. उपरोक्त संविदा कर्मी पर फर्जी कागजातों पर नियोजन प्राप्त करने एवं अन्य संगत आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया जाय।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक –01/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(फर्जी अभिलेख)–30/2021(खंड–2)....5201 **पटना, दिनांक** – 22.06.23

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप